(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

28.05.25

पत्रावली पेश। अन्य पक्ष वकील उप.। प्रतिवादी मोड़चंद की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 CPC बाबत एकतरफा कार्यवाही निरस्त फरमाने बाबत पेश किया जिसे सुना गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि निर्धारित पेशी तारीख के दिन कोई अन्य आवश्यक कार्य होने से न्यायालय हाजा में वकालतनामा पेश नहीं कर सके। प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 CPC स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर पूर्व की आदेशिका 15.10.24 को की गई एकतरफा कार्यवाही को अपास्त करने के आदेश दिये जाकर अप्रार्थी सं. 1 मोड़चंद को अप्रार्थी के रूप में पुन: मन्जूर किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पूर्व में प्रस्तुत [illegible] जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 01/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	उभय पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम कारोला के नवीन खेत खसरा नं. 780 रकबा 0.10 हैक्टेयर, ख. नं. 4150/781 रकबा 1.2811 हैक्टेयर में कई वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण मुझे बिना किसी विधिक प्रक्रिया मौके से बेदखल करने एवं भूमि बेचान करने पर आमदा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को राजस्व मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमावे। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा इकबालिया जवाब पेश कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नाम को साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित करने का बताया। अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का घोर विरोध करते हुये अपनी बहस में निवेदन [illegible] कि प्रार्थी उक्त खातेदारी [illegible] काश्तकार है। ना ही इनका [illegible] कोई कब्जा रहा है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमावे।	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 01/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हु
	हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी रेकर्ड खातेदार नहीं होने की स्थिति में प्रथम दृष्टया ही मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से राजस्व रेकर्ड की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (sd.)	
	सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.12 17:06:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner